संक्षिप्त

वन मंत्री शर्मा ने लिया जायजा

अलवर । सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर 27 को अलवर आएंगे। माथुर के आगमन व प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारीयों को लेकर पर्यावरण व वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रताप ऑडिटोरियम में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री शर्मा ने प्रताप ऑडिटोरियम में पहुंच कर यूआईटी व पुलिस के अधिकारीयों को कार्यक्रम की तैयारियों के संदर्भ में चर्चा कर निर्देशित किया। मंत्री ने कार्यक्रम प्रवेश, बैठक, मंच, ई लाइब्रेरी के वर्चुअल उद्घाटन की व्यवस्था आदि के साथ रूट व लाइब्रेरी के निरीक्षण की पुख्ता तैयारियां करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और की जा रही व्यवस्थाओ का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री के निजी सहायक नितिन चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक अंगद, यूआईटी के अधिशाषी अभियंता अशोक मदान व कुमार संभव अवस्थी, पं.जले सिंह, सतीश यादव, अमित गोयल, अरुण जैन मौजूद रहें।

कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च

अलवर। रामगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। बगड तिराया पर ब्लॉक अध्यक्ष बबली शर्मा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में रामगढ़ की पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश महासचिव साफिया जुबेर खान विशेष रूप से मौजूद रहीं। कैंडल मार्च बगड तिराया के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। कार्यकर्ताओं ने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विधायक सफिया खान ने केंद्र सरकार से आतंकी संगठनों को जड़ से खत्म करने की मांग की। कार्यक्रम में ब्लाक अध्यक्ष बबली पंडित पप्पू सरपंच, हनीफ खान, सप्पू खान, फरियाद खान, अजीब खान और पूर्व सरपंच समसू सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अभिषेक का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

निवाई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय झिलाय में कक्षा 12वीं कला वर्ग में अध्यनरत छात्र का खो-खो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। प्रधानाचार्य अनुराधा वर्मा ने बताया कि छात्र अभिषेक चौधरी पुत्र सत्यनारायण चौधरी का 68 वीं विद्यालयी खो खो खेल कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 30 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित प्रतियोगिता में अभिषेक चौधरी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानाचार्य अनुराधा वर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर छात्र अभिषेक चौधरी एवं टीम प्रभारी मनराज गुर्जर को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

विधायक सुखवंत सिंह ने अग्यारा डंपिंग यार्ड का लिया जायजा

अलवर। केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के निर्देश पर गुरुवार को रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने अधिकारियों के संयुक्त दल के साथ दिल्ली रोड बगड़ तिराहे के समीप बने नगर निगम के डंपिंग यार्ड में लगी आग का जायजा लिया।

अग्यारा डंपिंग यार्ड में लगी आग का मामला दिशा की बैठक में संज्ञान में आने पर केंद्रीय मत्री भूपेंद्र यादव ने विधायक सहित अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए थे रामगढ विधायक सुखवंत सिंह ने नगर निगम अधिकारियों से कहा कि भविष्य में आग लगने की घटना की पुनरावृति ना हो इसके एहतियात बरतते हुए आवश्यक कदम उठाएं जाए।

उन्होंने नगर निगम आयुक्त को प्लांट के उन्नयन के प्रस्ताव भिजवाने एवं प्लांट में सॉलिड वेस्ट कचरे के पूर्णतया निस्तारण के लिए रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए और निर्देशित किया कि एसटीपी प्लांट के ट्रीटेड वॉटर का प्रयोग कर नियमित रूप से प्लांट में पानी डलवाया जाए, ताकि आग सुलगने की संभावना न रहे। इस

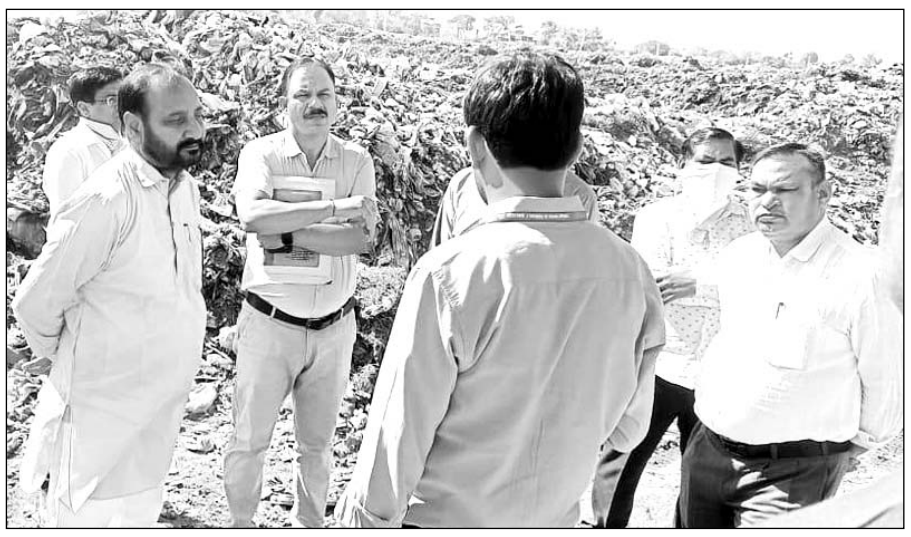

अग्यारा डंपिंग यार्ड का जायजा लेते विधायक रामगढ़ सुखवंत सिंह व अधिकारियों का दल।

दौरान नगर निगम आयुक्त ने बताया कि सॉलिड वेस्ट प्लान्ट में सुलग रही आग पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया है।

प्लांट को पूर्णत: सुरक्षित करने के लिए फायर ब्रिगेड व जेसीबी के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने 21 अप्रैल को दिशा की बैठक ली थी। जिसमें रामगढ क्षेत्र के अग्यारा में नगर निगम के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान्ट में आग लगने की घटना का विषय संज्ञान में आया था।

इस पर उन्होंने निर्देश दिये थे कि आगामी चार दिवस में स्थानीय विधायक, नगर निगम, स्थानीय प्रशासन व उनके प्रतिनिधियों के संयुक्त दल द्वारा अग्यारा स्थित प्लांट का निरीक्षण किया जाएगा। इससे पूर्व आग

- **नगर निगम के अग्यारा डंपिंग यार्ड में आग सुलगने का मामला संज्ञान में आने पर मंत्री ने दिए थे जांच कर आग पर नियंत्रण करने के आदेश**

को पूरी तरह से नियंत्रण में करने की कार्यवाही करने के साथ प्लांट के उन्नयन आदि के बारे में मौके पर ही चर्चा की जावे।

निरीक्षण के दौरान रामगढ़ प्रधान नसरू खॉ, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूक, उपखंड अधिकारी रामगढ़ सुरेंद्र प्रसाद, केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव आयुष कुमार एवं नितिन सागवान, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, फायर ब्रिगेड अधिकारी बब्बू राम मीणा, तहसीलदार रामगढ़ सहित नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

बीसीएमओ ने किया चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण

कोटपूतली। बीसीएमओ डॉ. पूरण चन्द गुर्जर ने मौसमी बीमारियों, लू-तापघात हीटवेब को देखते हुये आयुष्मान आरोग्य मन्दिर-आरोग्य परम धनम शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नागाजी की गौर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बखराना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिमनपुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से बातचीत कर कुशलक्षेम पूछी। वार्डो में मरीजों के लिये पंखा, वॉटर कूलर, एयर कूलर, बिजली, पानी, मरीजों के बैठने की माकूल व्यवस्था की जाँच की। साथ ही एमएनडीवाई स्टोर की जांच करते हुये पर्याप्त दवाईयों के स्टॉक की जानकारी लेते हुए फायर मॉक ड्रिल करने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही मरीजों एवं परिजनों से बीसीएमओ ने कहा कि नंगे पैर बाहर ना निकले, उच्च प्रोटीन वाले भोजन

बीसीएमओ डॉ. पूरण चन्द गुर्जर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बखराना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिमनपुरा का निरीक्षण किया।

से बचे और बासी भोजन ना खायें, दोपहर में बाहर निकलने पर ज्यादा मेहनत करने वाली गतिविधियों से बचे, धूप में बाहर निकलने से बचे, खासकर दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच बाहर ना निकलें। बच्चों या पालतू जानवरों को पार्क किए गए वाहन में ना छोड़े। वाहन के अन्दर का तापमान खतरनाक स्थिति में हो सकता है। अत्यधिक गर्मी के दौरान खाना पकाने से बचे। खाना पकाने के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से हवादार करने के लिये दरवाजे और खिड़किया खोले। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय या अधिक मात्रा में चीनी वाले पेय से बचें, क्योकि ये वास्तव में शरीर के अधिक तरल पदार्थ को खो देते है या पेट में ऐंठन पैदा कर सकते है।

पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था

श्रीमाधोपुर। ग्राम मऊ सीकर ग्लोबल रेजीडिन्शियल स्कूल में आज परिंदा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करना। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर किया।विद्यालय के प्रांगण में अलग-अलग स्थानों पर मिट्टी के बर्तन लगाए गए, जिनमें ताज़ा पानी और बाजरा, चावल जैसे अनाज रखे गए। स्कूल के निदेशक श्याम चौधरी ने कहा- ''गर्मी के मौसम को देखते हुए यह कदम पक्षियों को राहत देने के लिए उठाया गया। उन्होंने लोगों से यह अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परिंडे लगाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें।प्रधानाचार्या ने बताया कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।

जिला मजिस्ट्रेट ने ली कानून-व्यवस्था को लेकर बैठक

टोंक। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए गुरुवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष में बैठक ली। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी उपखंडों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाएं रखने की सुनिश्चिता करें। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि संदिग्ध घटनाओं पर नजर रखे और इसे गंभीरता से लिया जाएं। इसकी सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाएं। इस संबंध में कानून-व्यवस्था को लेकर गृह विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की कड़ाई से व अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियोजित करते हुए विशेष निगरानी की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि होटल, धर्मशाला एवं ढाबे जैसे स्थानों का लगातार निरीक्षण करें। जिला मजिस्ट्रेट ने सोशल मीडिया पर निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि भ्रामक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने मुख्य मार्गों पर आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की तलाशी लेने के निर्देश दिए।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) दूदू जिला दूदू

क्रमांक-भू.अ.1948 दिनांक-17.04.2025

विज्ञप्ति

श्री गौरव जैन व गौतम जैन पुत्रान सुरेश जैन निवासी 108, हरिमार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर ने वसीयतनामा व मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर श्रीमती राधा देवी पत्नी धर्मचन्द जैन के नाम अंकित ग्राम नयागांव में स्थित भूमि खसरा नं. 458 लगायत 461 कुल रकबा 4.80 है0 भूमि अपने नाम नामान्तरकरण करने हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के बाद नियमानुसार अभिलेख के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जायेगा। विज्ञप्ति आज दिनांक 17.04. 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

तहसीलदार (भू.अ.) तहसील दूदू (जयपुर)

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक:310 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:15.04.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 28/CS-32 (एरिया 10.800 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री छगन लाल धानका पुत्र श्री मुलाब चन्द धानका को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2122 दिनांक 22.06.2021 को जारी किया गया। श्री छगन लाल धानका द्वारा श्रीमती मोनिका जैन पत्नी श्री अंकित जैन को दिनांक 02.02.2022 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती मोनिका जैन के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से श्री छगन लाल धानका के पक्ष में पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक अष्टम मानसरोवर, जयपुर के यहाँ दिनांक 06.11.2023 को पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती मोनिका जैन द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त व्यावसायिक भूखण्ड को दिनांक 07.12.2023 के द्वारा श्री पवन कुमार सिंपल पुत्र श्री दीन दयाल सिंपल को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केती श्री पवन कुमार सिंपल पुत्र श्री दीन दयाल सिंपल द्वारा आवासन मण्डल में उक्त व्यावसायिक भूखण्ड में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत: उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री पवन कुमार सिंपल पुत्र श्री दीन दयाल सिंपल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य द्वारा प्लॉट नम्बर 25-बी, कल्याण नगर, ग्राम हाड्यावाला, सांगानेर, जयपुर मे स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 62.08 वर्गगज़ है को क्रय किया जा रहा है। यह कि सम्पूर्ण प्लॉट न. 25, जिसका कुल क्षेत्रफल 167.74 वर्गगज़ जे.डी.ए जयपुर द्वारा पट्टा विलेख 19.06.2017 को संतरा देवी के नाम से जारी किया गया था, तत्पश्चात संतरा देवी का स्वर्गवास 26.04.2021 को हो गया। संतरा देवी के स्वर्गवास के बाद उनके विधिक व कानूनी उत्तराधिकारियो/ वारिसान मे उनके पति श्री हरीश चंद खीची उनके पुत्र कृष्ण कांत खीची और कपिल खीची एवं उनकी पुत्रीयां सुमनलता चोला और विद्या महिंद्रा उक्त वर्णित सम्पत्ति में अपने-अपने हिस्से के संयुक्त रूप से मालिक, काबिज़, स्वामी व अधिकारी हुए। तत्पश्चात् उनके श्री हरीश चंद खीची, कृष्ण कांत खीची, कपिल खीची, सुमनलता चोला एवं विद्या महिंद्रा, ने उक्त सम्पत्ति को सुरेन्द्र सिंह को बैचान कर दिया, तत्पश्चात उपरोक्त सम्पूर्ण प्लॉट न. 25, जिसका कुल क्षेत्रफल 167.74 वर्गगज़ मे से प्लॉट नम्बर 25-बी, जिसका कुल क्षेत्रफल 62.08 वर्गगज़ को राम लाल को बैचान कर दिया। इस प्रकार राम लाल उक्त सम्पत्ति का संयुक्त मालिक, स्वामी, काबिज़ व अधिकारी है। राम लाल द्वारा उक्त सम्पत्ति को किसी टीगर व्यक्ति को विक्रय किया जा रहा है, उक्त सम्पत्ति बाबत् यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक, वित्तीय संस्था, सगे सम्बन्धी या अन्य कोई वारिसान, जनसाधारण, हत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, ऐतराज हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस की अवधि मे मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे निम्नलिखित ऑफिस पते पर अपनी आपत्ति / ऐतराज़ात मय असल दस्तावेज़ सहित व्यक्त करे, उक्त अवधि गुज़र जाने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी तथा उक्त अवधि के पश्चात् इस आम सूचना बाबत् कोई भी आपत्ति / ऐतराज़ात किसी भी न्यायालय मे शून्य व निरस्त समझी जायेंगी।

B.C.Shankla, Advocate, Mob.: 9829063273

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू, जिला - जयपुर ग्रामीण (राज.)

क्रमांक/न.पा.चा./2025/441 **लोक सूचना** दिनांक: 24.04.2025

आवेदक श्री रवि वर्मा पुत्र श्री अजमल वर्मा हिस्सा- पूर्ण जाति- रेगर निवासी सी-48 विष्णुपुरी नंदपुरी मालवीय नगर जयपुर जिला जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात:

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा स.	क्षेत्र (हैक्टे. में.)	प्रयोजन
तहसील चाकसू जिला जयपुर	ग्राम का नाम चाकसू (पूर्व) पटवार हल्का- चाकसू पूर्व, भू.अभि.नि.क्षेत्र- चाकसू	12635/1495	0.0165	फार्म हाउस प्रयोजनार्थ
		12641/1483	0.0800	
		12645/1493	0.0450	
		12652/1484	0.0900	
		12662/1491	0.0900	
		12664/1492	0.0800	
		12626/1495	0.0100	
		12646/1493	0.0860	
		12666/1494	0.1300	
		1505	0.2000	
	कुल किता 10		कुल रकबा 0.8275	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पर्याप्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्यापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सम्पर्क दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24-04-2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चाकसू

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश पश्चिम, जयपुर स्थान द्वितीय जयपुर महानगर राजपाल व अन्य विरूद्ध अजय सिंह व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र....
प्रार्थना-पत्र संख्या 79 सन 2025

नाम अजय सिंह पुत्र श्री दगाराम अहिर जाति यादव पता प्लाट नं. 80, बी साउथ पार्ट शिवशक्ति विहार बैनाड ग्राम बोयतावाला, जयपुर हाल वार्ड नं. 12 नावता पचेरी छोटी उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि जिला झुन्झुनु।

अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए दिनांक माह 04 सन् 2025 को 8:00 एएम पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज दिनांक 24 माह 04 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश पश्चिम स्थान जयपुर द्वितीय जयपुर महानगर राजपाल व अलग विरुद्ध अजय सिंह व अन्य
वाद बाबत
वाद सं. 93 सन् 2025

नाम अजय सिंह श्री पुत्र दयाराम जाति अहिर (यादव) निवासी प्लाट नं. स्थान 80, बी. साउथ पार्ट शिवशक्ति विहार बैनाड ग्राम बोयतावाता जयपुर हाल वार्ड नं. 12 नावता पचेरी छोटी, जिला झुन्झुनू ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 29 माह 04 सन् 2025 को दिन में 8.00 एएम का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस बाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई कर दावा का प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या ने हो, अपने प्रतिरक्ष या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 24. माह 04 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।

रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य निसार अहमद पुत्र श्री नूर अहमद, निवासी-325, जंगलात की चौकी, शेखावतो की छतरी, मदीना मस्जिद, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान का पुत्र मोहम्मद रिजवान पुत्र श्री निसार अहमद, आयु-24 वर्ष मेरे अभिभाष्य के कहे मे नही है मेरे अभिभाष्यग का कहना नही मानता है एवं मेरे अभिभाष्य से लडाई-झगडा एवं गाली-गलोच करता है तथा गलत संगतो मे पडा हुआ है जिस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियो से बेदखल कर दिया है। अब मेरे अभिभाष्य का अपने पुत्र से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है यदि कोई व्यक्ति उससे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाष्य किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होंगे। सूचित रहे।

जयपुर (मेहसिन अहमद) एडवोकेट
दिनांक-24.04.2025 मो.-9309415035

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य खान इक्तलाक अहमद हमीद पुत्र हमीद खान- निवासी जवाहरपुरा, जाबासर, जिला झुंझुनू, राजस्थान द्वारा मोहम्मद साजिद खान पुत्र स्व.अब्दुल मजिद, निवासी प्लाट नम्बर 127, संजय नगर-बी, कायमखानी चौक, झोटवाडा, जयपुर (राजस्थान) से उसके स्वामित्व व अधिपत्य की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 127, संजय नगर-बी, कालवाड रोड़, झोटवाडा, जयपुर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज़ है को खरीद करने हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति को बंधक रखना चाहता है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को उक्त सम्पत्ति के खरीद / बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज़ हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।

जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट
दिनांक-24.04.2025 मो.नं. 9829256466

नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)
क्रमांक: एफ 13 () जया. तैम्ब / जनिज./2025/52 दिनांक: 21/04/025
सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड सं. ए-228, बस्सी सीताराम्पुरा, जयपुर का पट्टा श्री महीनारायण शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा को दिनांक 06.02.1982 को 360.77 व.ग. का पट्टा जारी किया गया था। श्री जयन्ती प्रसाद जैन पुत्र श्री (मंगलूराम जैन द्वारा फर्जीवाड़ एवं विक्रय पत्र के आधार पर व ऋण पत्र प्रस्तुत कर एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

एम.सी.जे. फार्म नं.-33 भाग 7
हेतु संदर्शित करने के सूचना (साधारण प्रारूप)
न्यायालय-अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं.-2, सीतापुर।
वाद सं.-352/2024 पेशी-21-5-2025
श्रीमती शुभी मेहरोत्रा वादिनी
बनाम
रीतेश सोनी प्रतिवादी
बनाम- रीतेश सोनी पुत्र राजेन्द्र सोनी निवासी 111/74, अग्रवाल फार्म, विजय पथ मान सरोवर, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

चूंकि उपरिनामांकित श्रीमती शुभी मेहरोत्रा ने इस न्यायालय में उक्त वाद अंतर्गत धारा-125 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया है। अतएव आपको एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप वाद के खिलाफ हेतु संदर्शित करने के लिए दिनांक 21-5-2025 को सुबह 10-00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजात हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त वाद/आवेदन एकपक्षीय रूप से सुना जायेगा व अवधारित किया जायेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर सहित आज 2025 के माह 4 के दिवस को निकाली गई।

न्यायालय की आज्ञा से
मुंसरिम
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं.-2, सीतापुर
मोहर अदालत

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय...उपखण्ड अधिकारी... स्थान... कि0रेनवाल... भैरूराम वगै0...विरूद्ध.... कैलाशचन्द वगै0
प्रार्थना पत्र संख्या 34/2024

नाम भैरूराम पुत्र भुरा, धीसालाल पुत्र भुरा, नारायणलाल पुत्र भुरा, बालूराम पुत्र भुरा, लक्ष्मण पुत्र भुरा, मंगलचन्द पुत्र काना, रामेश्वर लाल पुत्र काना, चौथमल पुत्र काना समस्त जाति अहीर, कैलाशचन्द पडियार पुत्र माठूराम (मोठ्या), कानाराम पुत्र मूल्या, गणेश पुत्र हनुमान, छीतरमल पुत्र पन्ना, जीवणराम पुत्र मोती, देशराज पुत्र मोटूराम (मोठ्या), दोलाराम पुत्र पन्ना, नाथू पुत्र हनुमान, नारायण पुत्र जगन्नाथ, पप्पूराम पुत्र माल्या, प्रकाशकुमार पुत्र मोहनलाल, बनवारीलाल पुत्र मोती, भैरूराम पुत्र भूराराम, मांगीलाल पुत्र पन्ना, मीरादेवी पत्नि मालीराम, रविकुमार परिहार पुत्र जीवणराम, रामकुवार पुत्र जगन्नाथ, रामदयाल पुत्र मूल्या, रामदयाल पुत्र मोती, रामेश्वरलाल पुत्र पन्ना, सुजाराम पुत्र जगन्नाथ समस्त जाति बलाई, नारायण पुत्र जगन्नाथ, सुजाराम पुत्र जगन्नाथ, रामकुवार पुत्र जगन्नाथ, भूरीदेवी पुत्री जगन्नाथ, रामेश्वर पुत्र पन्ना, मांगीलाल पुत्र पन्ना, छीतरमल पुत्र पन्ना, दौलतराम पुत्र पन्ना, मंगली पुत्री पन्ना, सन्तरा पुत्री पन्ना निवासी खेड़ीमिलक, तहसीलदार कि0 रेनवाल, सब रजिस्ट्रार कि0रेनवाल, तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0, विरूद्ध तरमीम दुरूस्ती के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 2/5/25 को दिन में 10 बजें दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उतर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उतर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जें में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज़ पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेज़ों को उल्लिखित समय के वाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपंसजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता0 24/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुदा लगाकर दिया

आज्ञा से-रीडर, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर
मोहर अदालत

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 33/2025

चूंकि श्री दौलतराम स्वामी व राजेन्द्र सिंह ने पंजीकृत प्रन्यास स्वामी रामप्रकाश भजनदास ट्रस्ट 4353, नथमल जी का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 22 जयपुर 2006 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प